# कानून और परंपरा : समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

द हिंदू

पेपर-II ( भारतीय राजव्यवस्था )

सुप्रीम कोर्ट का समान लिंग के व्यक्तियों के बीच शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना, देश के समलैंगिक समुदाय के लिए बड़ा कानूनी धक्का है। हाल के वर्षों में कानून में हुई प्रगति और व्यक्तिगत अधिकारों के गहरे होते अर्थ को देखते हुए, व्यापक रूप से यह उम्मीद थी कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विशेष विवाह अधिनियम (कोई भी दो लोगों को शादी की इजाजत देने वाला कानून) की लिंग-निरपेक्ष व्याख्या करेगी, ताकि समान लिंग के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। समय के साथ, निजता, गरिमा और वैवाहिक पसंद के अधिकारों को समाहित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 का आयाम विस्तृत किया गया है। लेकिन, सर्वोच्च अदालत ने एक अतिरिक्त कदम उठाने से खुद को रोक लिया है, जिसकी जरूरत वैसे विवाहों या विवाह जैसे कानूनी बंधनों (सिविल यूनियन) की इजाजत देने के लिए थी जो विपरीत-लिंगी नहीं हैं। सभी पांच न्यायाधीशों ने इस तरह का कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ना चुना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला दिया है कि समलैंगिक जोड़ों को अपने मिलन (यूनियन) के लिए मान्यता हासिल करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही विशेष विवाह अधिनियम के उस आशय के प्रावधानों में काट-छांट करने (रीड डाउन) से इनकार किया है। दूसरी तरफ, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा ने इस नजरिए को खारिज किया है और कहा है कि कोई भी ऐसी मान्यता विधायिका द्वारा बनाये गये कानून पर ही आधारित हो सकती है। यानी, अदालत ने सरकार के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है कि समलैंगिक शादियों को कानूनी बनाने का कोई भी कदम विधायिका के अधिकार-क्षेत्र में आयेगा।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अदालत ने इस उम्मीद को खारिज कर दिया है कि वह विवाह के मामले में समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव जारी रखने की इजाजत नहीं देगी। विवाह वास्तव में एक सामाजिक संस्था है, और एक वैध विवाह के लिए अपनी कानूनी जरूरतें और शर्तें हैं। विवाह के जरिए सामाजिक और कानूनी वैधता हासिल करने का अधिकार व्यक्तिगत पसंद का मामला है जिसे संविधान से संरक्षण प्राप्त है, लेकिन शीर्ष अदालत अब भी इसे विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों की सीमाओं के अधीन ही मानती है। बहुमत इस नजरिए के पक्ष में नहीं है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार है, लेकिन इस बात पर अल्पमत से सहमत है कि परालिंगी (ट्रांस) व्यक्तियों के विपरीत-लिंगी वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायाधीशों के बीच इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि ऐसे समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने और उत्पीड़न व धमकियों से मुक्त होने का अधिकार है। यह देखते हुए कि भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा समलैंगिक शादियों को कानूनी बनाये जाने का धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर विरोध कर सकता है, संसद द्वारा ऐसी कोई पहल किये जाने की संभावना बहुत कम है। एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय अब खुद को अदालत के इस निर्देश से दिलासा दे सकता है कि सरकार को समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों व हकदारियों पर निर्णय के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। हालांकि, इस समुदाय को आगे काफी संघर्ष करना होगा जब तक कि समानता की उसकी ललक के साथ कानून एकाकार नहीं हो जाता है।

## समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आज समलैंगिक विवाह समानता पर फैसला सुनाया है।

### निर्णय के बारे में अधिक जानकारी:

- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के अनुपात में भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ एक सर्वसम्मत फैसला सुनाया।
- उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों या व्याख्याओं को बदलने में अदालत की असमर्थता पर जोर देते हुए कहा कि संसद को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए।
- याचिकाओं का उद्देश्य समान-लिंग विवाहों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की लिंग-तटस्थ व्याख्या करना था, लेकिन बहुमत का विचार था कि विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
- समानता, गोपनीयता, कानूनी अधिकारों और बच्चों पर प्रभाव से संबंधित विभिन्न तर्कों पर विचार करते हुए अदालत ने अप्रैल और मई में दस दिनों तक विचार-विमर्श किया।
- समलैंगिक विवाह के विरोध पक्ष में केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद शामिल थे।

### विशेष विवाह अधिनियम क्या है:

- 1954 का विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) विवाह के लिए धार्मिक कानूनों का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- यह एक नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है जहां राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी देता है।

## संभावित प्रश्न (Expected Question)

**प्रश्न : समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-**

1. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दिया है।
2. पीठ ने सर्वसम्मति से विवाह के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है।

**उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?**

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

**Que. Consider the following statements in the context of Supreme Court's recent verdict on same-sex marriage-**

1. A bench of five judges has not given legal status to gay marriage by a majority of 3:2.
2. The bench has unanimously considered the right to marriage as a fundamental right.

**Which of the statements given above is/are correct?**

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

**उत्तर : a**

## संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

**प्रश्न : "समलैंगिक शादियों को कानूनी बनाने का कोई भी कदम विधायिका के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए।" इस कथन के संदर्भ में भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी यात्रा का विश्लेषण करें।**

**उत्तर का दृष्टिकोण:**

- उत्तर के पहले भाग में समलैंगिक शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी यात्रा की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

**नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**

## संभावित प्रश्न (Expected Question)

**प्रश्न :** समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दिया है।
2. पीठ ने सर्वसम्मति से विवाह के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है।

**उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?**

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

**Que.** Consider the following statements in the context of Supreme Court's recent verdict on same-sex marriage-

1. A bench of five judges has not given legal status to gay marriage by a majority of 3:2.
2. The bench has unanimously considered the right to marriage as a fundamental right.

**Which of the statements given above is/are correct?**

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

**उत्तर : a**

## संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

**प्रश्न :** ष्समलैंगिक शादियों को कानूनी बनाने का कोई भी कदम विधायिका के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए।ष इस कथन के संदर्भ में भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी यात्रा का विश्लेषण करें।

**उत्तर का दृष्टिकोण:**

उत्तर के पहले भाग में समलैंगिक शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय की चर्चा करें।

दूसरे भाग में भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी यात्रा की चर्चा करें।

अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

**नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**